Extension Office: Near Town Hall, Collectorate Road, Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2024

प्रति,

KU, PREETIKA XALXO, ADV.) S/O/D/O/W/O SHRI-SANTOSH XALXO HOLY CROSS PATPARIYA, AMBIKAPUR SURGUJA (C.G.)

महोदय/महोदया,

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापुर)

Date : 31.01.2024

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 30.01.2024 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक C.G./202/2024/ADV. नामांकन दिनांक 30.01.2024 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें ।

जपरोक्त परीक्षा में उर्त्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से जपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते है :--

1

The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Telefax : 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org



अमित कुमार वर्मा सचिव छ.ग.रा.वि. परिषद



कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा

सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़

(दूरभाष कमांक 0774.230230 ई-मेल-ed.jd.surguja@gmail.com)

त्वक्रआदेशत्वक्र

अम्बिकापुर दिनांक 31 अगस्त 2023

क./रथा.2/सी.भ.2023/शिक्षक/2023 13497/18323 छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04-05-2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04-05-2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02-07-2023 की वरीयता के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/शि/सी.म./2023/313 नवा रायपुर दिनांक 21.08.2023 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 24.08.2023 से 29.08.2023 तक दस्तावेज सत्यापन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सांतवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (35400 - 112400) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. (5) में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है : –

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता⁄पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6,
11103447	RAGHUNATH . C/O DHANESHWAR	ST	House No : 300, 343, RAMANUJGANJ / MITGAI, , 497220, District: Balrampur Chhattisgarh, Sarguja, , , Balrampur, Chhattisgarh,	M.S.MAGARHARA Balrampur BALRAMPUR	ST OPEN

(संजय कुमार गुप्ता) संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग छत्तीसगढ

- चयनित शिक्षक 20 सितम्बर 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश खमेव निरस्त माना जायेगा।
- चयनित शिक्षक संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
- 3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07. 2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा –

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत्

द्वितीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत्

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत्

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

- नवनियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के कम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध मे दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय, सेवा हेतु अनई/अनुपयुक्त. सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
- 6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- 7. चयनित शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
- 8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
- 9. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
- 10. पदांकित शाला तथा विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
- 11. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नही होगा।

SHIDHI BHARTI 2023

Page 2

- 12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेश प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
- 13. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत ''अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र/कार्य मुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्य भार ग्रहण करेगें।''
- 14. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश / निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

संयुक्त संवालक शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ अम्बिकापुर दिनांक 31 अगस्त 2023

क. / स्था.2 / सी.भ. 2023 / शिक्षक / 2023 / 13498

प्रतिलिपिः–

- निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को 1/ सूचनार्थ।
- प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ। 2/
- सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ। 3/
- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय ,अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ । 4/
- आयुक्त, सरगुजा संभागं की ओर सादर सूचनार्थ। 5/
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ। 6/
- कलेक्टर, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ। 7/
- संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर, सरगुजा को सूचनार्थ। 8/
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । 09 /
- समस्त जिला प्राचार्य, डाईट, सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । 10/
- 11 / समस्त कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 12 / सर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो।
- 13 / सर्व संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवार्ही हेतु तथा कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 14 / संबंधित श्री / सुश्री RAGHUNATH ., C/O DHANESHWAR, House No : 300, 343, RAMANUJGANJ / MITGAI, , 497220, District: Balrampur Chhattisgarh, Sarguja, , , Balrampur, Chhattisgarh, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु। 15/

संयक्त/संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

SHIDHI BHARTI 2023

Page 3



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर ,सरगुजा (छ.ग.)

//आदेश//

क./ १०१८) / स्था.-प्रा.शा. / सी.भ. / सहा.शि. / २०२३ अम्बिकापुर, दिनांक-२१ / ०९ / २०२३ छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था. 02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन दिनांक 26.09.2023 से दिनांक 28.09.2023 तक किया है। सत्यापन उपरांत सहायक शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, सातवें वैतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 06 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :--

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता⁄पति	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम
	्य पिता / पति	41		
1	2	3	4	5
11033287	RAHUL GUPTA C/O RAM KUMAR GUPTA	OBC	House No : 142, MAIN ROAD GUTURMA, GUTURMA, , 497114, District: Sarguja Chhattisgarh, , , , Sarguja,	P.S. SHIVNATHPUR Sitapur SURGUJA

जिला शिक्षा अधिकारी अभिबकापुर ,सरगुज़ा

2)

(2)

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगी :-

- चयनित सहायक शिक्षक 10 अक्टूबर, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। 1-निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- चयनित सहायक शिक्षक संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के 2-मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
- नवनियुक्त सहायक शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के कम में 3-निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर 4-अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह / अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
- चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना 5-किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- चयनित सहायक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल 6-सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
- उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस 7-देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भूगतान करना होगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया 8-गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
- पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित 9-दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
- संबंधित सहायक शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य 10-होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
- नियुक्त सहायक शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला 11-स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।





उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक (12) 019668/2022, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक 5788 / 2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक डी.वाय. 35325/2023 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी क अम्बिकापुर , सरगुजा

पृ.क. / 1016 8 / स्था. – प्रा.शा. / सी.भ. / सहा.शि. / 2023 अम्बिकापुर, दिनांक 29 / 09 / 2023

प्रतिलिपिः–

- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा 2/ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ 3/ 4/
- संचालक कोष,लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ 5/ प्रेषित।
- कलेक्टर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ 6/ 7/ प्रेषित।
- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर को सूचनार्थ प्रेषित। 8/
- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 10/ समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी......जिला-सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित सहायक शिक्षक को विलम्ब न हो।
- 11/ सर्वे संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला...... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 12/ संबंधित श्री/सुश्री/श्रीमती को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 13 / कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

ितला शिक्षा अधिकारी A अम्बिकापुर , सरगुजा



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

 (प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

 (दूरभाष कमांक 0771.2331385 फैक्स कमांक 0771.2445215, ई-मेल-cg.dpi.dir@gmail.com)

 क./ स्था.2/सी.भ./व्याख्याता/भौतिक/2023/389

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार (पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 21.07.2023 के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन किया है। सत्यापन उपरांत व्याख्याता विषय–भौतिक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 09 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :–

रोल.न.	अभ्यर्थी का नाम	जाति	पता	पदांकित शाला का	चयनित
	एवं पिता/पति	वर्ग		नाम	संवर्ग
	का नाम				
1	2	3	4	5	6
11013336	1 2 013336 RAJ KISHOR BHAGAT C/O RUP DEVRAM BHAGAT		WARD NO. 09, BHAGATPARA, WARD NO. 09, BHAGATPARA, VILL. NILKANTHPUR PO. KATIMA TH+THANA- KUSMI, , Balrampur, Chhattisgarh, 497224	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BASANTPUR Wadrafanagar BALRAMPUR	ST

<u>।0.68</u>.23, संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगी :--

1. चयनित व्याख्याता 31 अगस्त, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज, मुख्या०-रामानुजगंज (छ.ग.)

Email-id rmsa.ramanujganj@gmail.com

-ःःआदेशःः–

रामानुजगंज, दिनांक 29/09/2023

क्रमांक/स्था0-02/स.शिक्षक नियुक्ति/ 5094 /2023-24 ः छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ के पत्र क्रमांक/स्था.02/ विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन दिनांक 08.09.2023 से दिनांक 13.09.2023 तक किया है। सत्यापन उपरांत सहायक शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 06 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं.-5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :--

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	नियुक्ति का संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11013146	RAJAT EKKA C/O NIRMAL EKKA	ST	House No : , , AMBIKAPUR , , 497001, District: Sarguja Chhattisgarh	P.S.B. SHANKARGARH, Shankargarh Distt BALRAMPUR	T Cadre

जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलसमपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :--

- 1. चयनित सहायक शिक्षक 04 अक्टूबर, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 - चयनित सहायक शिक्षक संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
 - नवनियुक्त सहायक शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के कम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
 - 4. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

Extension Office: Near Town

Hall, Collectorate Road, Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises Bilaspur (C.G.) 495 001

Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Date: 15.09.2023

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023/2nd Copy

प्रति,

KU. RAJRANI, ADV S/O/D/O/W/O SHRI BHOLA RAM, VILL. – JARGIM, POST – MANOHARPUR, TEHSIL + THANA – SHANKARGARH, DISTT. BALRAMPUR (C.G.)

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 24.05.2023 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक C.G./780/2023/ADV. नामांकन दिनांक 24.05.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा़ 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त परीक्षा में उर्त्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पत्ते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते है :--

The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Telefax : 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org





Extension Office: Near Town Hall, Collectorate Road, Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Date: 18.07.2023

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023/

प्रति,

SHRI SAIF ERAQUI, ADV. S/0/D/0/W/O SHRI NAJJMUDDIN ERAQUI HOSPITAL COLONY, MASJID PARA, THANA + TAHSIL – SITAPUR, DISTT, SURGUJA (C.G.)

(वृत्तिक स्थल - अंबिकापुर)

महोदय / महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 17.07.2023 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक C.G./868/2023/ADV. नामांकन दिनांक 17.07.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसकें बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश कें किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय पिथिज्ञ परिपद, नई दिल्ली त्ते आप अधोलिखित दूरमाथ कमांक से प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त परीक्षा में उर्त्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तुत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :--

The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Telefax : 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org



अमित कुमार वर्मा सचिव छ.ग.रा.वि. परिषद

"अखिल भारतीय बार परीक्षा" से संबंधित बार कौसिल आफ इण्डिया के नियमों के संबंध में आवश्यक विवरण भारतीय विविज्ञ परिषव नई विल्ली, विनोक 5 जून 2010 अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम -2010

भारतीय विधिन्न परिषद ने 30 अप्रेल 2010 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया :-

संकल्प संख्या :73/2010

संकल्प किया जाता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद, उसके ऐसी शर्ते अभिकथत करने की शकित न्यरत होने के कारण, जिनके अधीन अधियक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन विधि व्यवसाय करने का आधिकार होगा, अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करेगी, जिसमें उत्तीर्ण होने पर अधिवक्ता करने का जानपतर होता, जायर करने का हकदार होगा जिससे यह अधिवतता अधिनियम 1961 के अधिन विधि व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात होगा/होगी। उक्त भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए विधि शिक्षा निदेशालय द्वारा विरचित नियमों का अनुमोदन करती है।

जपर्युक्त संकल्प को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 (1) (एएच) के अधीन विधि व्यवसाय करने की शर्ते :- भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम के अध्याय - 3 भाग-4 मे निम्नलिखित नियम बनाती है और उन्हें नियम 9 से 11 तक के रूप में अंतः स्थापित करती है।

9. अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा –24 के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने के लिए तब तक हकदार नही होगा जब तक कि वह भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा संचालित अखिल भारतीय बार परीक्षा 2009–2010 और आगामी वर्षों में आगे रनातक बनने वाले और अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा – 24 के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने वाले सभी विधि विद्यार्थियों के लिए आज्ञापन है।

अखिल भारतीय बार परीक्षा :--

10-

- (1) अखिल भारतीय वार परीका नारतीय विविज्ञ परिपद द्वारा आयोजित की जायेगी। (ग) बार परीक्षा प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे मास और ऐसे स्थानों पर
 - आयोजित की जायेगी जो भारतीय विधिज्ञ परिषद समय समय पर अवधारित करे। (ख) बार परीक्षा ऐसे मूल और प्रक्रियागत विधि क्षेत्रों में अधिवक्ताओं की परीक्षा लेगी जैसा भारतीय विधिज्ञ परिषद समय-समय पर अवधारित करें।
 - (ग) ऐसे मूल/प्रकियागत विधि क्षेत्रो (विषयों) और पाठ्यक्रम का भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा प्रकाशन परीक्षा के नियम तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व किया
 - (घ) बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित अंको का प्रतिशत भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अवधारित किया जाएगा।
 - (ड) असफल अधिवक्ता बार परीक्षा में पुनः बैठ सकेगा उसके लिए बैठने की सीमा नही
 - (च) भारतीय विधिज्ञ परिषद, विशेषज्ञों की एक समिति की मार्फत, पाठयकम, सिफारिश किये गये पाठन, परीक्षा पत्र निपर्धारकों, माडरेटरां, मूल्यांकको की नियुक्ति, माडल

 - उत्तरों परीक्षा भवन संबंधी नियमो और अन्य संबंधित विषयो का अवधारण करेगी।

(छ) भारतीय विधिज्ञ परिषद के लिए रीति और आवेदन पत्र का पपत्र की अवधारण करेंगी (ज) बार परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर, अधिवक्ता विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र पाने

विधि व्यवसाय के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन -

11.

(1) विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र, भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा परिणामो की घोषणा होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सफल अधिवक्ता के पते पर जारी किया जायेगा।

12

विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र, भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष के हस्ताक्षराधीन भारतीय विधि परिषद द्वारा जारी किया जायेगा।

भारत का राजपत्र 12 जून 2010 (22 ज्येष्ठ 1932) द्वारा प्रकाशित

Extension Office: Near Town Hall, Collectorate Road, Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Date : 31.01.2024

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2024

प्रति,

KU<mark>. SATYAPANA CHATURVEDI,</mark> ADV. S/O/D/O/W/O SHRI GANGA PRASAD CHATURVEDI RICE MILL ROAD, AMBIKAPUR, DESHI ISPYSHI RESTORENT, AMBIKAPUR (C.G.)

महोदय / महोदया.

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापूर)

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 30.01.2024 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक C.G./222/2024/ADV. नामांकन दिनांक 30.01.2024 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त परीक्षा में उर्त्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते है :--

The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Telefax : 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org



कुमार वर्मा सचिव छ.ग.रा.वि. परिषद

Extension Office: Near Town Hall, Coffectorate Road, Bilaspur (C.G.) 495 001 Fbone: 07752-241309 Office: High Costs Premises Bilasput (C.G.) 495/001 Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Date: 09.10.2023

Ref. No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023/

प्रति.

KU, SAVITA, ADV. S/OD/OW/O SHRI MOTILAL

VILLAGE BANSIFUR JUNAPARA POST JARHI DISTT, SURAIPUR (C.G.)

(glana quint - allangge)

गहोच्य/महोदया

आपको सुचित किया जाता है कि दिनांक 09.10.2023 को आपको स्टेंट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एजव्हीकेंट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ म. की अधिवक्ता नामांवली पंजी में घोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक C.G./1819/2023/ADV. नामांकन दिनांक 09.10.2023 हैं।

चूंकि आपकं द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अत. आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पुष्ठ के दूसरे माम में उल्लेखित है तथा अखिल मारतीय वार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के सबच में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिन्न परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित चूरमाण कमांक से प्राप्त कर लेयें ।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगे ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेवसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :--

The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Telefax : 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org



अमित कुमार बमी सचिव छ ग रा.वि. घरिषव

BIHAR STATE BAR COUNCIL, P No. H/... 4982 ATES ARE PILLARS OF JUST Certificate of Admission as an Advocate, under the Advocates Act, 1961 Roll No. BR/123 of 2024 This is to certify that Shekhar Jyoti Son / Daughter / Wife of Sri Digvijaya Narayan Sharma has this day been admitted as an advocate on the Roll of the Bihar State Bar Council. Patna The 05.02.24 Requiredle Secretary "Kindly see the notes on the back of this Certificate"

Extension Office: Near Town Hall, Collectorate Road,

Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Date : 01.11.2023

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

प्रति

KU. SHWETA PANDEY, ADV. S/O/D/O/W/O SHRI RAJESH PANDEY NEAR MANSOON AGRO SANGAM CHOWK, AMBIKAPUR DISTT. SURGUJA (C.G)

महोदय / महोदया.

(वृत्तिक स्थल – अंविकापर)

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.11.2023 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एंडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक C.G./1939/2023/ADV. नामांकन दिनांक 01.11.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि रनातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त परीक्षा में उर्त्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :--

The Secretary, Bar Council of India. 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Telefax : 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org



कमार वर्मा सचिव छ.ग.रा.वि. परिषद

Extension Office: Near Town

Hall, Collectorate Road, Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Date : 10.11.2023

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

प्रति,

SHRI SUMIT KUMAR GUPTA, ADV. S/O/D/O/W/O SHRI MAHESH PRASAD GUPTA WARD NO. 06, BLOCK COLONY, BALRAMPUR (C.G.)

महोदय / महोदया,

(वृत्तिक स्थल – बलरामपुर)

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 10.11.2023 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक C.G./2169/2023/ADV. नामांकन दिनांक 10.11.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें ।


उपरोक्त परीक्षा में उर्त्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :--

1

The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Telefax : 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org







L



Annexure 1: Compensation Breakup

Set forth below is an outline of the management compensation terms and conditions by which the undersigned parties agree to abide. The existence, nature, terms and conditions of this agreement are strictly confidential and shall not be disclosed by candidate in any manner or form, directly or indirectly, to any person or entity without

Tanmay Iba	Date: 14 th May 2024	
and the second state of th		
6 Months		
6 Months (M8)		
Post 12 months		
	Post Graduate Trainee 6 Months 6 Months (M8)	

Compensation Scheme

I. Total Target Remuneration from Date of Joining

#	Particulars	Amount (INR) Per Annum	Notes
L	Basic	1,80,000	Basic is paid on a monthly basis. Retirals are linked to this. Subject to tax.
11	House Rent Allowance ("HRA")	72,000	House Rent Allowance is paid on a monthly basis. HRA is provided to meet the cost of accommodation. HRA is calculated at 40% of the Basic pay. HRA is an allowance and is subject to income tax. The exemption on HRA is covered under Section 10 (13A) of the Income Tax Act and Rule 2A of the Income Tax Rules.
ш	Personal Allowance	29748	Personal Allowance is paid on a monthly basis. This element has no linkage to any component of compensation / retirals. Subject to tax.
IV	Statutory Bonus	36000	Bonus is paid on a monthly basis and calculated at 20% of the Basic pay, subject to Income tax.
v	Uniform Allowance	12,000	Uniform Allowance is paid on a monthly basis. It is granted to meet the expenditure incurred on purchase or maintenance of uniform to wear during the performance of the duties of an office. It is non taxable.
VIII	Leave Travel Allowance ("LTA")	15,000	Leave Travel Allowance is a reimbursement for travel within India. It is governed by IT Act where one can claim tax exemptions twice in a block of four years and should be on Privilege leave for a minimum period of 5 days and this can be clubbed with weekly off or a paid holiday.
×	Provident Fund ("PF")	21,600	As per employee provident fund Act 1952, an employer is required to contribute minimum 12% of the Basic Salary to EPF. And equal amount will be deducted as employee contribution from monthly payroll.
XI	Gratuity	8,652	The employer will contribute 15 days basic for every completed year of service. This will be payable when the employee leaves a superannuates. The eligibility condition is minimum 5 years of service as per the payment of Gratuity Act 1972.
Fixed	Pav	3,75,000	Sum of all above

Registered Office : Aluminium Sadan, Core 6, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi (India) - 110003 CIN : U74899DL1965PLC004518 | Tel : 011 49166200 | Fax : 011 24320177 | Web : www.vedantalimited.com | www.balcoindia.com

Extension Office: Near Town

Hall, Collectorate Road,

Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Date : 08.10.2023

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

प्रति

KU, VIBHA SONI, ADV, S/O/D/O/W/O SHRI RAJENDRA SONI LOKNAYAK JAI PRAKASH WARD NO 30 SCHOOL ROAD THANGANPARA AMBIKAPUR DISTT. SURGUJA (C.G)

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापुर)

महोदय / महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 08.10.2023 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक C.G./1723/2023/ADV. नामांकन दिनांक 08.10.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त परीक्षा में उर्त्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :--

The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Telefax : 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org



मार वर्मा सचिव छ.ग.रा.वि. परिषद



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर) (दूरमाष कमांक 0771.2331385 फैक्स कमांक 0771.2445215, ई–मेल–cg.dpi.dir@gmail.com) क./स्था.2/सी.भ./व्याख्याता/भौतिक/2023/345 नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार (पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 21.07.2023 के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन किया है। सत्यापन उपरांत व्याख्याता विषय–भौतिक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 09 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :—

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता⁄पति का नाम	जाति वर्ग	पत	Π	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
<u>1</u> 11073282	2 VIKESH KUMAR C/O BAGAR SAY	3 ST	4 GAOTIYA GAOTIYAPARA, Surajpur, Chl 4970	, JUDWAN ₁ , , hattisgarh,	5 GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL SIRSI Bhaiyathan SURAJPUR	6 ST

संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगी :--

1. चयनित व्याख्याता 31 अगस्त, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

भौतिक

2. चयनित व्याख्याता संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।

3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा—

प्रथम वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत तृतीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। व्याख्याता के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

- नवनियुक्त व्याख्याता की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के कम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो का पालन किया जायेगा।
- 5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध मे दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
- 6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- 7. चयनित व्याख्याता की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
- 8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
 - 9. प्रमाणित किया जाता है कि व्याख्याता भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
 - 10. पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।

भौतिक

11. संबंधित व्याख्याता को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नही होगा।

12. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

0.08.23

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ.क. / स्था.2 / सी.भ. / व्याख्याता / भौतिक / 2023 / 346 नवा रायपुर दिनांक 10 / 08 / 2023 प्रतिलिपिः—


- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 2/ प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 3/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
- 4/ संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 5/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को सूचनार्थ।
- 6/ समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 7/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करे ताकि चयनित व्याख्याता को विलम्ब न हो।
- 8/ सर्व संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिष्टि्चत करेंगे।
- 9/ संबंधित श्री/सुश्री को सूचनाथ एवं पालनार्थ। 10/ कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

<u>لل</u> بنتاجة 10.03.2.2

3

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

भौतिक





कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ (दूरभाष कमांक 0774.230230 ई–मेल–ed.jd.surguja@gmail.com)

त्वक्रआदेशत्वक्र

अम्बिकापुर दिनांक 31 अगस्त 2023

क./ स्था.2/ सी.म.2023/शिक्षक/2023 13609/19900 छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04-05-2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04-05-2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02-07-2023 की वरीयता के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/शि/सी.म./2023/313 नवा रायपुर दिनांक 21.08.2023 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 24.08.2023 से 29.08.2023 तक दस्तावेज सत्यापन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यमार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (35400 - 112400) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम न. (5) में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है: —

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता⁄पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11023019	AMRITA EKKA C/O KALYAN RAM	ST	House No : 12, BAGICHA ROAD, BATAULI, , 497101, District: Sarguja Chhattisgarh, Sarguja, , , Sarguja, Chhattisgarh,	M.S. DUPPI Rajpur BALRAMPUR	ST OPEN•

(संजय कुमार गुप्ता) संयुक्त संचालक शिक्षा सरग्जा संभाग छत्तीसगढ़



क्र. / स्था.3 / सी.भ. / सहायक शिक्षक / 2023 / 8306

नवा रायपुर दिनांक 29.09.2023

/ / आदेश / /

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन दिनांक 08.09.2023 से दिनांक 12.09.2023 किया है। सत्यापन उपरांत सहायक शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 06 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :–

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता⁄पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम
1	2	3	4	5
11013188	ANJU XAXA C/O KAMLA RAM	ST	House No : 0553, GADHA PARA, DHELSARA, , 497111, District: Sarguja Chhattisgarh, , , , Sarguja, ,	GOVT. P.S. SARAIPARA Premnagar SURAJPUR 22271904203

टेल)

जिला शिक्षा अधिकारी जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

ASSITANT TEACHER

Page 1



कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ (दूरभाष कमांक 0774.230230 ई–मेल–ed.jd.surguja@gmail.com)

ल्बश्नआदेशल्बश्न

अभ्विकापुर दिनांक 03 अक्टूबर 2023 फ़र्फ़ूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04-05-2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04-05-2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02-07-2023 की वरीयता के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/शि/सी.भ./2023/313 नवा रायपुर दिनांक 21.08.2023 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 29.09.2023 से 30.09.2023 तक दरतावेज सत्यापन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत शिक्षक के पद पर अर्म्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (35400 - 112400) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम न. (5) में अम्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है : –

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता⁄पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम
1	2	3.	4	5
12013411	BANDNA C/O SATYENDRA SINGH PAIKRA	ST	House No : I-2, WARD NO 16, BAIKUNTHPUR, , 497335, District: Koriya Chhattisgarh, , , , Gaurela- Pendra-Marwahi, Chhattisgarh,	GOVT.MIDDLE SCHOOL TARRA Sonhat KORIA 22012104703

(संजय कुमार गुप्ता)

संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़

Page 1

SHIDHI BHARTI 2023

कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सोनहत, जिला—कोरिया (छ0ग0)

/ / आदेश / /

सोनहत, दिनांक 04.10.2023

क्रमांक / 3777 रथापना-02 / 2023-24 : कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसंगढ़ का आदेश क्रमांक / रथा.2 / सी.म.2023 / शिक्षक / 2023 / 15961 / 42886 अम्बिकापुर, दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के द्वारा बंदना कंवर पति श्री सतेन्द्र सिंह पैकरा याम पुराना मोहल्ला, सोनबचरवार पो0 आमाडाड़ तह-पेन्ड्रा जिला-गौरेला पेन्ड्रा मरवाही (छ0ग0) की नियुक्ति शिक्षक के पद पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मा0शा0 तर्रा विकास खण्ड सोनहत, जिला-कोरिया (छ0ग0) में पदस्थ किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में बंदना कंवर के द्वारा आज, दिनांक 04.10.2023 को कार्यभार ग्रहण करने हेतु इस कार्यालय में उपस्थित हुए है।

अतः बंदना कंवर शिक्षक को आज दिनांक 04.10.2023 को मा0शा0 तर्रा में कार्यभार ग्रहण करने हेतु इस कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है। आप तत्काल मा0शा0 तर्रा में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।

> विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (स्रोनहत, जिला– कोरिया (छ०ग०)

> > सोनहत, दिनांक 04 10.2023

पृ० क्रमांक/ / रथापना–02/2022–23 13न-४ प्रतिलिपिः–

संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनाथे।
 जिला शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया की ओर सादर सूचनार्थ।

उ. प्रधान पाठक मा०शा० तर्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

٩.

4 संबंधित बंदना कंवर शिक्षक को पालनार्थ।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सोजहत, जिला– कोरिया (छ०ग०)

Extension Office: Near Town Hall, Collectorate Road,

Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises Bilaspur (C.G.) 495 001

(वृत्तिक स्थल - अंबिकापूर)

Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Date: 01.11.2023

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

प्रति,

SHRI BHANESHWAR PRASAD PATEL, ADV. S/O/D/O/W/O SHRI MANI RAM PATEL VILL. JAGDALLA POST DEORI, TAH. SAKTI, DISTT, SURGUJA, (C.G.)

महोदय/महोदया

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.11.2023 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक C.G./1870/2023/ADV. नामांकन दिनांक 01.11.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।


बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त परीक्षा में उर्त्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते है :--

The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Telefax: 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org





Office: High Court Premises

Extension Office: Near Town Hall, Collectorate Road, Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309



STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Date : 07.11.2023

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

प्रति,

SHRI CHANDRA KANT PATEL, ADV. S/O/D/O/W/O SHRI PRADEEP PATEL VILL. – SONDIHA, POST- BARTI KALAN, DISTT. SURAJPUR (C.G.)

महोदय / महोदया,

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापुर)

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 07.11.2023 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक C.G./2157/2023/ADV. नामांकन दिनांक 07.11.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त परीक्षा में उर्त्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगे ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Telefax : 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org



गर वमा सत्तित छ.ग.रा वि परिषद



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष कमांक 0771.2331385 फैक्स कमांक 0771.2445215, ई-मेल-cg.dpi.dir@gmail.com) नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023

क. / स्था.२ / सी.भ. / व्याख्याता / भौतिक / २०२३ / ३४९

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/ स्था.02/विज्ञापन/ सीधी भर्ती/ 2023/ 155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार (पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 21.07.2023 के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन हेत्र गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन किया है। सत्यापन उपरांत व्याख्याता विषय-भौतिक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 09 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :--

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम	जाति	पता	पदांकित शाला का	चयनित
	एवं पिता/पति	वर्ग		नाम	संवर्ग
	का नाम			·	
1	2	3	4	5	6
11182080	DEEPAK SINGH	ST	BAGICHAPARA,	GOVT. HIGHER	ST
7	C/ <mark>O ATAVA RAM</mark>		BAGICHAPARA,	SECONDARY SCHOOL	
		1.11	MANOHARPUR, ,	BHAWARMAL	
			Balrampur, Chhattisgarh,	Ramanujganj 🕈	
			497118	BALRAMPUR	

18-23 संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगी :--

1. चयनित व्याख्याता 31 अगस्त, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

- 2. चयनित व्याख्याता संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
- 3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा–

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। व्याख्याता के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

- 4. नवनियुक्त व्याख्याता की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो का पालन किया जायेगा।
- 5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध मे दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
- 6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- 7. चयनित व्याख्याता की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
- 8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
- 9. प्रमाणित किया जाता है कि व्याख्याता भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया. है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
- 10. पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।

- 11. संबंधित व्याख्याता को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
- 12. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668 / 2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश / निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

2.08.23

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023

पृ.क. / स्था.२ / सी.भ. / व्याख्याता / भौतिक / २०२३ / *३५०* नव प्रतिलिपिः—

- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 2/ प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 3 / महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
- 4/ संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 5 / समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को सूचनार्थ।
- 6/ समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 7/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करे ताकि चयनित व्याख्याता को विलम्ब न हो।
- 8/ सर्व संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिष्टि्वत करेंगे।

9/ संबंधित श्री/सुश्री को सूचनाई एवं पालनार्थ।

10 / कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

भौतिक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

0.08.22



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, आटल नगर) (दूरमाष कमांक 0771.2331385 फैक्स कमांक 0771.2445215, ई-मेल-cg.dpi.dir@gmail.com)

क. / स्था.२ / सी.भ. / व्याख्याता / भौतिक / 2023 / 313

नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार (पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 21.07.2023 के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन किया है। सत्यापन उपरांत व्याख्याता विषय–भौतिक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार प्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेबल 09 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चर्यानेत/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :–

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता⁄पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11053499	DIVYA LAKRA C/O CHHOTSAI RAM	ST	INDIRANAGAR WARD NO 10, INDIRANAGAR WARD NO 10, AMBIKAPUR, , Sarguja, Chhattisgarh, 497001	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BOYS PRATAPPUR Pratappur SURAJPUR	ST

0.118-23. संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :--

 चयनित व्याख्याता 31 अगस्त, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

1

- 11. संबंधित व्याख्याता को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
- 12. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

10.08.23 संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023

पृ.क. / स्था.2 / सी.भ. / व्याख्याता / भौतिक / 2023 / 3 14 प्रतिलिपिः–

- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 2/ प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 3 / महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
- 4/ संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 5/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को सूचनार्थ।
- 6/ समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 7/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करे ताकि चयनित व्याख्याता को विलम्ब न हो।
- 8/ सर्व संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिष्ट्रियत करेंगे।

9/ संबंधित श्री/सुश्री को सूचनाई एवं पालनार्थ।

10 / कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

लोक शिक्षण छत्तीसगढ

0.03.23

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

eMail - deo.jdp@gmail.com, Beside Hatha Ground Jagdalpur District Bastar (C.G.)

-:: आदेश ::-

क. / 2228 / स्था.03 / सीधी भर्ती-2023 / सहा.शिक्षक / 2024, जगदलपुर, दिनांक 09 / 03 / 2024

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04/05/2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04/05/2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02/07/2023 की वरीयता के आधार पर चतुर्थ चरण अंतर्गत दस्तावेज़ों का सत्यापन हेतु गठित दल द्वारा दस्तावेज सत्यापन <u>07.03.2024 से 09.03.2024 तक</u> किया गया । दस्तावेज सत्यापन में पात्र सहायक शिक्षक के पद के अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, सातवे वेतनमान 25300–80500 के वेतनमैट्रिक्स लेवल (06) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :–

रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता⁄पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम
1	2	3	4	5
11053555	KAVITA PAINKRA C/o JETHURAM	ST	House No : 89, SCHOOLPARA, KUDARIDIH, , 497111, District: Surguja Chhattisgarh, , , , , ,	GOVT. ASHRAM SHALA KARKAGUDA Lohandiguda BASTAR 22152409002

MIDell2

जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर (छ0ग0)

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :--

- 1) चयनित सहायक शिक्षक <u>दिनांक 18 मार्च 2024</u> तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगें। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- 2) चयनित सहायक शिक्षक संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला मेडिकल बोर्ड के फिटनेस प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज़ों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यमार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यमार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यमार ग्रहण माना जायेगा।
- 3) सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
- 4) नवनियुक्त सहायक शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 5) यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनई/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
- 6) चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- 7) चयनित सहायक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ०ग० सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शतें) नियम 1961 एवं छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।

उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भन्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भूगतान करना होगा।

- प्रमाणित किया जाता है कि सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति 9) व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
- पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित 10) प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
- संबंधित सहायक शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में 11) स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 019668/2022, 12) माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक 5788/2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक डी.वाय. 35325 / 2023 में पारित होने वाले अंतिम आदेश / निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा परित आदेश के अध्यधीन होगी।

01100112 जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर (छ0ग0)

जगदलपुर, दिनांक 09/03/2024

पृ.क्र. / 2229 / स्था.03 / सीधी भर्ती-2023 / सहा.शिक्षक / 2024, प्रतिलिपि :--

- निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल 1) नगर को सादर सूचनार्थ।
- प्रमुख सचिव, छ०ग० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर को सादर 2)
- सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ। 3)
- 4) महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन इंद्रावती भवन अटल नगर को सादर सूचनार्थ। 5)
- 6)


8)

- कमिश्नर, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ। 7) कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ।
- संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ। 8)
- 9) जिला कोषालय अधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ।
- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है 10)
- कि चयनित सहायक शिक्षक के समस्त दस्तावेज़ों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये 11) जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे एवं दस्तावेज़ में त्रुटि पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।
- संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के समस्त दस्तावेज़ों का परीक्षण अपने 12) स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे एवं दस्तावेज़ में त्रुटि पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।

संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। aylacit

13) कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु। 14)

जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर (छ0ग0)



Son Daughter Wife ANISH KUMAR SONI Certified that has qualified the Chhattisgarh State Eligibility Test (SET) of BAJRANG LAL SONI Examination 2018 beld on October 28, 2018 for eligibility for the post of Assistant Professor Librarian Sports Officer in colleges and Assistant Professor Assistant Librarian Assistant Director (Physical Education) in the Universities in the subject HINDI

The date of qualifying SET is Feb. 19, 2019 which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the Chattisgarh Vyarsayik Pariksha Mandal by the employer through courses and choice you in. This electronic certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the electronic certificate.

validity of the electronic certificate is forever.

Date of issue : 08/03/2019

23

10

Department of Higher Education Government of Chhattisgarh

NAME AND A DECK

Member Secretary (C.G.SET)

Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, Naya Raipur

NOTE

- CG Vyapam has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his / her Application From al records / certificates of the candidate while considering him / her for appointment, au he CG Vyapam is not responsible for the same. The candidate must fulfill the minimum eligibility condition for SET within 2 years from the te of declaration of SET result.
- ver SC/ST/OBC (creamy layer / non-creamy layer) is shown in the SET Ref. No . the recruitment body should check the

A STORE STOR

ever PH is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities

COP/2023/0400992	6		0		
	BAR COUNC	CIL OF INDIA THE ADVOCATES ACT, 1961)	- Andrew La		
	Certificati	e of Practice			
This is to certify that Mr. / Ms		ARTIPATEL			
S/o/D/o/W/o	VINOD KUMA	B enrolled	l as an Advocate under		
The Advocates Act, 1961 with SBC Enrollment No. CG/545/2022/ADV. is entitled to practice					
the profession of law in India in accordance with The Advocates Act, 1961 and the Rules governing such practice					
framed by the Bar Council of	India, as he/she has succe	essfully qualified in the All India B	ar Examination-XVII		
vide AIBE Roll No.	17887184	Dated this the 29th day of .	April 2023.		
Mx mishre	def.	ĥy.	Superbled		
Manan Kumar Mishra Chairman	Shailendra Dubey Member	Satish Chandra Varma	Srimanto Sen		
Bar Council of India	Bar Council of India	Chairman Bar Council of Chhattisgarh	Secretary Bar Council of India		
21, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi-110002 This is an ePaper which is electonically secured using QR Code, Please download AIBE App from Playstore/App Store for instant verticiation and additional information.					

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town Hall, Collectorate Road, Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309 Office: High Court Premises Bilaspur (C.G.) 495/001 Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Date : 09.10.2023

Ref. No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023/

प्रति.

KU SAVITA, ADV. SODYOWYO SHRI MOTILAL VILLAGE BANSIFUR JUNAPARA POST JARHI DISTT, SURAJPUR (C.G.)

(वृत्तिचा स्थाल - अधिमनापुर)

गहोदय/महोदया

आपको सुचित किया जाता है कि दिनांक 09.10.2023 को आपको स्टेंट बार कौसिल की नामाकन समिति द्वारा एनव्होंकेट घोषित कर दिया गया है, एव आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ ग, की अधिवत्ता नामावली पंजी में घोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक C.G./1819/2023/ADV. नामांकन दिनांक 09.10.2023 हैं।

यूंकि आपके द्वारा पिधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अत. आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समझ विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पुष्ठ के दूसरे माम में उल्लेखित है तथा अखिल मारतीय वार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के सबच में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिन्न परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित चूरमाण कमांक से प्राप्त कर लेयें ।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगे ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेवसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :--

The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Teletax : 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org



अमित कुमार बर्मा सचिव छ ग रा.वि. घरिषव



कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ

(दूरभाष कमांक 0774.230230 ई-मेल-ed.jd.surguja@gmail.com)

त्वक्रआदेशत्वक्र

अम्बिकापुर दिनांक 31 अगस्त 2023 क. / स्था.2 / सी.भ. 2023 / शिक्षक / 2023 12483 / 12720 छत्तीसगढ़ शासन, रकूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04-05-2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04-05-2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02-07-2023 की वरीयता के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/शि/सी.म./2023/313 नवा रायपुर दिनांक 21.08.2023 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 24.08.2023 से 29.08.2023 तक दस्तावेज सत्यापन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (35400 - 112400) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. (5) में अभ्यर्थी द्वारा खतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है : -

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता⁄पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11173121	KULDEEP KUMAR PAINKRA C/O MAINAR SAI PAINKRA	ST	House No : 79, DAMHATOLI ROAD, BAGICHA, , 496224, District: Jashpur Chhattisgarh, Sarguja, , , Jashpur, Chhattisgarh,	M.S. KERTA Balrampur BALRAMPUR	ST OPEN

(संजय कुमार गुप्ता) संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग छत्तीसगढ

SHIDHI BHARTI 2023

- 1. चयनित शिक्षक 20 सितम्बर 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर करने पर करने चयनित शिक्षक संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्याणय
- शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक ,
- 3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07. 2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा -

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत्

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत्

तृतीय वर्ष – उंस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत् परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने

की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। नवनियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के कम में, निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता

- निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो का पालन किया जायेगा। 5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध मे दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान
- की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह / अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
- चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- 7. चयनित शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
- 8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भन्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
- 9. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
- 10. पदांकित शाला तथा विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
- 11. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में रथानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन रवीकार्य नही होगा।

SHIDHI BHARTI 2023

- 12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेश प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर की प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
- 13. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत "अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र / कार्य मुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संरथा में कार्य भार ग्रहण करेगें।"
- 14. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश / निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर में विचाराधीम या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

संयुक्त संचलिक शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ अम्बिकापुर दिनांक 31 अगस्त 2023

क. / स्था.2 / सी.भ. 2023 / शिक्षक / 2023 / 12484

प्रतिलिपिः--

- निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को 1/ सूचनार्थ।
- प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ। 2/
- सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ। 3/
- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय ,अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ । 4/
- आयुक्त, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ। 5/
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ। 6/
- 7/ कलेक्टर, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।
- संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर, सरगुजा को सूचनार्थ। 8/
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । 09/
- समस्त जिला प्राचार्य, डाईट, सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् । 10/
- 11/ समस्त कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 12/ सर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो।
- 13/ सर्व संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 14/ संबंधित श्री/सुश्री KULDEEP KUMAR PAINKRA, C/O MAINAR SAI PAINKRA, House No : 79, DAMHATOLI ROAD, BAGICHA, , 496224, District: Jashpur Chhattisgarh, Sarguja, , , Jashpur, Chhattisgarh, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 15/ कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेत्।

संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

SHIDHI BHARTI 2023

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town

Hall, Collectorate Road.

Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Date : 01.11.2023

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

प्रति,

<mark>SHRI KUSH KUMAR, ADV.</mark> <mark>S/O/D/O/W/O SHRI JAGDEV RAM</mark> WARD NO 13, DEVIDHAM PARA WADRAFNAGAR DISTT. BALRAMPUR (C.G)

महोदय / महोदया,

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापुर)

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.11.2023 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक C.G./1884/2023/ADV. नामांकन दिनांक 01.11.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त परीक्षा में उर्त्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :--

The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Telefax : 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org



1

कुमार वर्मा सचिव छ.ग रा वि परिषद



कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा

सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़

(दूरभाष कमांक 0774.230230 ई-मेल-ed.jd.surguja@gmail.com)

त्वक्रआदेशत्वक्र

अम्बिकापुर दिनांक 22 सितम्बर 2023

क./स्था.2/सी.भ. 2023/शिक्षक/2023 15023/1444 छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04-05-2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04-05-2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02-07-2023 की वरीयता के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/शि/सी.भ./2023/313 नवा रायपुर दिनांक 21.08.2023 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 24.08.2023 से 29.08.2023 तक दस्तावेज सत्यापन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (35400 - 112400) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. (5) में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है : –

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता⁄पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11153003	MANISH KUMAR SAHU C/O VIDYANTI PRASAD SAHU	OBC	House No : 02, UTTAR PARA, NAWGAI, , 497225, District: Balrampur Chhattisgarh, Sarguja, , , Balrampur, Chhattisgarh,	GOVT. N.M.S.JAGARNATHPUR Pratappur SURAJPUR	-

(संजय कुमार गुप्ता) संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ उपैरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगी :--

- चयनित शिक्षक 04 अक्टूबर 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- चयनित शिक्षक संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
- नवनियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के कम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो का पालन किया जायेगा।
- 4. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध मे दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह / अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
- 5. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- चयनित शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
- 7. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
- 9. पदांकित शाला तथा विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
- 10. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
- 11. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेश प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
- तनारा पर पा आपना। 12. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत ''अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र / कार्य मुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्य भार ग्रहण करेगें।''
- १८ प्रस्तरप्त अदिश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में 13. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी()

संयुक्त संचालिक शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ लपि:-

निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को

- प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ। 2/ 3/
- सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ। 4/
- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय ,अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ । 5/
- आयुक्त, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ। 6/
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ। 7/
- कलेक्टर, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ। 8/
- संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर, सरगुजा को सूचनार्थ।
- 09 / समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 10 / समस्त जिला प्राचार्य, डाईट, सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 11/ समस्त कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- सर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर 12/ लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतू अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो।
- सर्व संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही 13 / हेतु तथा कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित श्री/सुश्री MANISH KUMAR SAHU, C/O VIDYANTI PRASAD SAHU, House No : 02, 14/ UTTAR PARA, NAWGAI, , 497225, District: Balrampur Chhattisgarh, Sarguja, , , Balrampur, Chhattisgarh, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु। 15/

संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग

अम्बिकापूर, छत्तीसगढ़



कार्यातय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–सूरजपुर (छ०ग०)

/ / आदेश/ /

02/सी.म./व्याख्याता/मौतिक/2023/303 नवा रायपुर दिनांक 10.08.2023 के द्वारा मनोज पाले कुमार पाले को व्याख्याता भौतिक विषय के पद पर नियुक्त करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटेया विकासखण्ड प्रतापपुर जिला–सूरजपुर में पदस्थ किया गया है। मनोज कुमार ر معتابه / المحال المحال / 2023 नव नियुक्त व्याख्याता के संचालक लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर छ0ग0 के आदेश क्रमांक/रूथा. द्वारा आज दिनांक 16.08.2023 को इस कार्यालय में अपनी सूरजपुर, दिनांक 1.7.08/2625

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटेया विकासखण्ड प्रतापपुर जिला–सूरजपुर में भौतिक उपस्थिति दी गई है। संबंधित व्याख्याता के अभिलेखों का जांच उपरांत मनोज कुमार पाले को विषय के पद पर कार्यमार ग्रहण करनें कि अनुमति प्रदान की जाती है।

North Ren सूरजपुर छ0ग0 अधिकारी

पृ.क्रमांक/6368 / स्था.01–टी/ई/2023 प्रतिलिपि:-

- सूरजपुर, दिनांक /...न्न. (.0.2.)2023
- 1. सचिव छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर छ0ग0
- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर छ०ग० को सादर सूचनार्थ को सादर सूचनार्थ।
- 2
- कलेक्टर जिला-सूरजपुर छ०ग० को सादर सूचनार्थ।
- संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ।
- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि०ख0-... को सूचनार्थ एव आवश्यक
- कार्यवाही हेतु।
- <u>ە</u> प्राचार्य शास०उ०मा०वि० कोटेया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- _ंश्री/श्रीमतीको सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सूरजपुर छ0ग0 अधिकारी

	ennada.	
ģ	er and	
	164	
*	Concernance and a second	

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ

(तूरमाष कमांक 0771,2331385 फैक्स कमांक 0771,2445215, ई<mark>-मेल-cg.dpi.dir@g</mark>mail.com) (प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती मवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

क. / स्था.2 / सी.म. / व्याख्याता / भौतिक / 2023 / <mark>30</mark>3

नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023

// आदेश //

क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में तोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल में पदस्थ किया जाता है :--नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला राजपत्रित द्वितीय श्रेणी सातवे वेतनमान् के वेतन मैट्रिक्स लेवल 09 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके (पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 21.07.2023 के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन किया है। सत्यापन उपरांत व्याख्याता विषय–भौतिक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, व्याख्यात्ग शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानूदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र

		11050T84	11000104	रोल.न
	UGEBALI RAM	MANOJ KUMAR	2	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता∕पति का नाम
		ST	ω	जाति वर्ग
	AMAKANI, , Jashpur, Chhattisgarh, 496118	TILDEGA, TILDEGA,	4	पता
Jon Contraction	SECONDARY SCHOOL KOTEYA Pratappur	GOVT HIGHED	л	पदांकित शाला का नाम
	<u>\</u> ≝	с С		चयनित संवर्ग

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगी :--

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

10.08.23. संचालक

उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

1. चयनित व्याख्याता 31 अगस्त, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि

भौतिक

Ņ उपरांत ही पर्दाकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण चयनित व्याख्याता संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।

ω छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा-अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के प्राप्त होंगे। व्याख्याता के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह

- 4 नवनियुक्त व्याख्याता की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के कम में निर्धारित की निर्देशो का पालन किया जायेगा। जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी
- ъ अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी। अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल ऐसी जानकारी प्राप्त होती ST∳ <u>त</u>्र संबंधित अभ्यर्थी च देंगे कि उनके विरूद्ध शासकीय सेवा हेतु

50 AN

- <u></u>.თ चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेंगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड
- चयनित व्याख्याता की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी। सिविल तथा भेवा
- 7 अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी। (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण
- उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- œ
- उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा। सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो

दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।

Ν

10. पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक

एव

अन्य संबंधित

तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार

कि व्याख्याता भ्रती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है

की गई है।

9

प्रमाणित किया जाता है

भौतिक

- होना, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत 11. संबंधित व्याख्याता को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
 - उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक न्यायालय न्यायालय 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च माननीय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में। द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी। ų



संचालक **४३ १३**

रायपुर दिनांक 10/08/2023 लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ नेव

स्था.2 / सी.म. / व्याख्याता / भौतिक / 2023 / *3*रुद् प्रतिलिपि:-र्ष.क.

- शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल भवन, अटल नगर को सूचनार्थ। 2
- 6 नगर महानदी भवन, अटल प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय सूचनार्थ । 2
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ। 3
- संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ। 4
 - समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को सूचनार्थ। 5
 - समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ। ົ
- के दिनांक समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित व्याख्याता ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करे ताकि चयनित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के द्वारा आपके कार्यालय में उपरिश्वत होने को विलम्ब न हो। चे
 - है कि चयनित व्याख्याता के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर सर्व संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल∕हायर सेकेण्डरी स्कूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे। से करने के पश्चात्, हेतु प्रेषित कर लेख 8

को सूचनाध संबंधित श्री∕सुश्री 6

10 /

कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

हूवं पालनार्थ।

संचालक <u>1</u>8.2.3.

लोक शिक्षण छत्तीसगढ

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town

Hall, Collectorate Road, Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Date: 09.10.2023

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

प्रति

KU. MANSI SINHA, ADV. S/O/D/O/W/O SHRI SACHINDRA SINHA WARD NO 03, GANDHINAGAR AMBIKAPUR DISTT. SURGUJA (C.G.)

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापुर)

महोदय / महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 09.10.2023 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक CG/1813/2023/ADV नामांकन दिनांक 09.10.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त परीक्षा में उर्त्तीण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते है :--

The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area New Delhi+ Telephone No.011-492250000, 32402082, Telefax : 011-41036283 Email :- Info@ barcouncilofindia. Org Website: www.barcouncilofindia.org



भवदीय अमित कुमार वर्मा सचिव छ.ग.रा.वि. परिषद कार्थालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ०ग०)

// आदेश // क्रमाङ/२२२।/स्था–02/कारंभार ग्रहण/2023–24 प्रतापपुर,दिनांक 08/09/2023

ः कार्यालय संयुवन संचालक (शिक्षा) सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक/ स्था.2/ सी.भ 2023/ शिक्षक/ 2023 11152/ 1276 दिनांक 31.08.2023 के दारा श्री अंकुश कुमार आत्मज-श्री जगदीश , रोल नं. 11083312, पता- ग्राम चोपन पोस्ट सिरनी तहसील भैयाथान जिला-सूरजपुर छ०ग०) ,पिन-497231 को शासकीय पूर्व माध्यमिक शारित चन्दरपुर प्रतापपुर, विकासखण्ड प्रतापपुर जिला-सूरजपुर (छ०ग०) में शिक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है।

उक्त आदेश के परिपालन में श्री अंकुश कुमार के द्वारा दिनांक 08.09.2023 को कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर में मध्यान्ह पूर्व कार्यभार ग्रहण करने पश्चात दिसाल 08.09.2023 को ही मध्यान्ह पूर्व शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चन्दरपुर, विकासखण्ड प्रतापपुर हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

> विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ०ग०) प्रतापपुर,दिनकि,08/09/2023

५३७ २२२२/ स्था-02 / कार्यभार हण / 2023-24 प्रति। लपिः–

- संभागीय संयुक्त संचाद क (शिक्षा), सरगुजा संभाग को सादर सूचनार्थ।
- 2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-सूरजपुर (छ०ग०) को सादर सूचनार्थ।
- संकुल प्राचार्य / जन शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।
- प्रधान पाठक पूर्व मा०१:10 चन्दरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।
- 5. रांबंधित श्री अंकुश दुमार ,पूर्व मा.शाला चन्दरपुर, विकास खण्ड प्रतापपुर को सचनार्थ एवं पालनार्थ।

W विकास खण्ड शिक्ता अधिकारी प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ०ग०)





छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग :: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

_ _ 0 _ _ _ / / आदेश / /

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक ०६/६/२५

क्रमांक एफ 1–42/2021/38–1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर संशोधित चयन सूचि दिनांक 20.11.2023 को सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारंभिक वेतन रूपये 57,700 / – तथा समय–समय पर देय महगांई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम–5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :–

चयन सूची	नाम ।	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
का क्र.			
2	3	4	5
16	सुश्री अनीता यादव	UR	शासकीय नवीन कन्या
			महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़–
			चिरमिरी–भरतपुर
20		UR	शासकीय रामानुज प्रताप
			सिंहदेव रनातकोत्तर
			महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर
	· · ·		जिला कोरिया
24		UR	शासकीय महाविद्यालय,
	12, बी सी रोड, कुमार बाजार,		ओडगी जिला सूरजपुर
	. ,		
26	\mathbf{U}	UR	शासकीय विश्वनाथ यादव
			तामस्कर रनातकोत्तर कला
	e l		विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग
43	e e	OBC	शासकीय विश्वनाथ यादव
		-	तामस्कर स्नातकोत्तर कला
	0		विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग
45	श्री मिथलेश कुमार चन्द्रा	OBC	शासकीय जाज्वल्यदेव
	केरा रोड जांजगीर लालू स्वीट्स के		नवीन कन्या महाविद्यालय,
	पास जांजगीर (छ.ग.) 495668		जांजगीर जिला जांजगीर
			चांपा
	का क्र. 2 16 20 24 24 26 43	का क्र. 3 2 3 16 सुश्री अनीता यादव गांव सुरजनवास पो—देवास, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) पिन 123034 20 श्री तारकेश्वर कुमार ग्राम बचेडीह पो—थाना नवालसाही, वार्ड 07, ब्लाक—डोंचांच जिला कोडेरमा (झारखण्ड) 825418 24 श्री राहुल साव 12, बी सी रोड, कुमार बाजार, पो—पुलिस स्टेशन रानीगंज जिला पश्चिम बर्धमान (पश्चिम बंगाल) पिन 713347 26 श्री अनुराग मिश्रा जी—8, पुराना पेंशन बाड़ा, कुंदन पैलेश रोड, पुलिस लाईन के पास, रायपुर (छ.ग.) 492001 43 श्री सुदेश कुमार मकान नं. 155 वार्ड नं. 10 ग्राम—पोस्ट कोकपुर तह—डोगरगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.) 491558 45 श्री मिथलेश कुमार चन्द्रा केरा रोड जांजगीर लालू स्वीट्स के	वा म. अप मा वा म. 2 3 4 16 सुश्री अनीता यादव गांव सुरजनवास पो–देवास, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) पिन 123034 UR 20 श्री तारकेश्वर कुमार प्राम बचेडीह पो–थाना नवालसाही, वार्ड 07, ब्लाक–डोंचांच जिला कोडेरमा (झारखण्ड) 825418 UR 24 श्री राहुल साव 12, बी सी रोड, कुमार बाजार, पो–पुलिस स्टेशन रानीगंज जिला पश्चिम बर्धमान (पश्चिम बंगाल) पिन 713347 UR 26 श्री अनुराग मिश्रा जी–8, पुराना पेंशन बाड़ा, कुंदन पैलेश रोड, पुलिस लाईन के पास, रायपुर (छ.ग.) 492001 UR 43 श्री सुदेश कुमार मकान नं. 155 वार्ड नं. 10 ग्राम–पोस्ट कोकपुर तह–डोगरगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.) 491558 OBC 45 श्री मिथलेश कुमार चन्द्रा केरा रोड जांजगीर लालू स्वीट्स के OBC

//2//

स.क्र.	चयन सूची का क	नाम	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
	का क्र. 2	3	4	5
1	48	श्री एस कुमार साहू		शासकीय नवीन
07	40	ग्राम कोकड़ी पोस्ट भैसमुण्डी		महाविद्यालय, नरहरपुर
		तह–कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.)		जिला कांकेर
		493663		
08	50	श्री ज्ञानचंद्र साहू	OBC	नवीन शासकीय
00	00	मकान नं. 69 / 1222, शांति विहार		महाविद्यालय, तोकापाल
		कालोनी, डीडी नगर थाना, सुंदर		जिला बस्तर
		नगर, रायपुर (छ.ग.) 492013		
09	52		OBC	शासकीय नवीन कन्या
		ग्राम कटोरी नगोई पोस्ट रावा		महाविद्यालय, नारायणपुर
		तहसील कटघोरा जिला कोरबा		
10	57	श्री हेमेश्वर चन्द्रा		
		मकान नं. 129, बरेठ पारा बरदुला		महाविद्यालय, भटगांव जिला
		पो–उच्चभिठी, थाना कोसीर		सारंगढ़ बिलाईगढ़
		तहसील सारंगढ जिला सारंगढ		
		बिलाईगढ़ (छ.ग.) 496450		
11	64			शासकीय महाविद्यालय,
		53, इंदिरा नगर, वार्ड क्र.1 उतई		काटा जिला सुकमा
12	CE.	जिला दुर्ग (छ.ग.) 491107	ODC	00_0
12	65	श्री आनंद कुमार साम भाराणांग जनसण्ज तार्ह ज ४४		
		ग्राम भाढापारा रतनपुर वार्ड न. 11 पोस्ट सरवन देवरी जिला		
		बिलासुपर (छ.ग.)		
13	69	श्री भीखमलाल	50	जिला बिलासपुर बाबू छोटेलाल श्रोवास्तव
		मकान नं. 396 वार्ड क्रमांक 20,		बाबू ठाटलाल त्रावस्तव शासकीय स्नातकोत्तर
		जय स्तम्भ चौक, ग्राम व पोस्ट		महाविद्यालय, ध्रमतरी
		अंवरी, थाना कुरूद जिला धमतरी		CARGE STRE
		(छ.ग.) ४९३७७०		
14	74	श्री मनोज कुमार हंसराज	SC	शासकीय मयूरखाज
		ग्राम व पोस्ट धुरकोट थाना		महादानी राजा स्नातकोत्तर
		जॉजगीर जिला जॉजगीर चॉपा		महाविद्यालय चांपा किला
		(छ. ग.) 495668		जोजगीर चॉपा
15	110	श्री आदित्य लौरेंस टोप्पो	ST	शासकीय इंदावली
		सदर पुलिस लाइन मकान न एच		महाविद्यालय
	index (c) is a major	/ 107 रायपुर (छ.ग.) 492001		भोपालपट्टनम जिल
				हीलापुर

//3//	
-------	--

	चयन सूची		प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
स.क्र.	चयन राूपा का क्र.			
		3	4 ST	5
1 16	2 111			शासकीय नवीन महाविद्यालय, तपकरा जिला जशपुर
17	112	श्रीमती वर्षा ठाकुर मकान नं. 0158, वार्ड नं. 07 ग्राम पिपरछेडी पोस्ट रसमड़ा जिला दुर्ग (छ.ग.) 491001	ST	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नगपुरा जिला दुर्ग
18	113	श्री देवेन्द्र सिंह राय ग्राम संतपाली पोस्ट भंवरपुर थाना सरायपाली जिला महासमुंद (छ.ग.) 493558	ST	शासकीय वीर गेंद सिंह महाविद्यालय पखांजूर जिला कांकेर
19 114		सुश्री नीलिमा पैकरा विनोबा नगर, गायत्री मंदिर के पास, तालापारा रोड पाठक किराना के सामने वाली गली, थाना तारबाहर जिला बिलासुपर (छ.ग.) 495001	ST	शासकीय ई. राघवेन्द्र स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर
20 115		सुश्री रश्मि निबरगिया वार्ड क्रमांक 13, अवन्ति ट्रेक्टर्स के सामने पोस्ट ऑफिस रोड, बस्ती सरायपाली तह—सरायपाली जिला महासमुंद (छ.ग.) 493558	ST	डॉ भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय बलौदा जिला महासमुंद
2	1 116	सुश्री प्रियंका सिन्द्रामे मकान नं. 16 ⁄ 6429 सेक्टर 1, शिवानन्द नगर, खमतराई डब्ल्यू आर एस कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) 492008	ST	शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर जिला सरगुजा
22	2 117	सुश्री सत्यवती मकान नं. 155 वार्ड नं.12, गांव कर्रा नवापारा, पोस्ट बतरा तह—पाली जिला कोरबा (छ.ग.) 495449	ST	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर जिला सरगुजा
23	8 118	श्री नरहरि सिंह मकान नं. डी.एन.के. जी—10, नगर पालिका परिषद के पास डीएनके कालोनी कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ.ग.) 494226	ST	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जेवरतला जिला बालोद

NI SAL

//4//

2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :-

1. अभ्यर्थी को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जायेगा।

2. अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

 अभ्यर्थियों को पुलिस सत्यापन कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. पदभार ग्रहण करते समय सुसंगत शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा कराना होगा।

5. शासकीय / अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

6. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट) मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

7. अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं विभागीय सेवा भरती नियम के अंतर्गत शासित होगी।

अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर लागू पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें।

9. परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।

10. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

11. आदेश में कोई टंकण त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी ही मान्य की जावेगी।

12. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये, तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

3/ उपर्युक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्राणी शास्त्र विषय के संबंध में यदि कोई याचिका होगी, तो उक्त नियुक्ति उक्त याचिका में होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(कीर्तिवर्धेन उपाध्याय) अवर सचिव

अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग पृ. क्रमांक एफ 1—42 / 2021 / 38—1,

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक

प्रतिलिपि :--

- 01. सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
- 02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
- 03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 352 / 01 / चयन / 2020 / 12 नवा रायपुर, दिनांक 20.11.2023 के संदर्भ में
- 04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, विभागीय वेबसाइट में आदेश को अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करावें।
- 05. संबंधित आयुक्त,

06. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

- 07. संबंधित कलेक्टर,
- 08. संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा
- 09. विशेष सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
- 10. निज सचिव, सविच, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,

11. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला

- 12. संबंधित प्राचार्य,, आदेशानुसार कृपया संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुसंगत शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र / अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें। उक्त सभी दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतू रखे,
- 13. संबंधित अभ्यर्थी

14. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर

अवर सचिव शासन, उच्च शिक्षा विभाग



Rajib Ghosh Chief People Officer

08-Apr-2024

Mr Mohammad Wasim Surajpur, Chhattisgarh

Dear Mohammad,

Welcome to Azim Premji Foundation !

We thank you for your interest to join Azim Premji Foundation (hereinafter referred to as the "Foundation").

Your terms of appointment is as below :

1. APPOINTMENT

- a) We are pleased to make you an offer of appointment as "Associate Resource Person" based in Surguja (Ambikapur block), Chhattisgarh as a part of Azim Premji Foundation for Development. Your expected date of joining will be 01-Aug-2024.
- **b)** You will be on probation for a period of one year from the date of appointment and will be confirmed upon satisfactory performance during the period of probation.

2. SALARY

Your Annual Cost to Company (CTC) is Rs. 4,32,000

Details of your salary structure are given in *Annexure 1*. Your compensation will be subject to tax deduction as per applicable rules.

Changes in your salary & benefits are discretionary and will be on the basis of relevant criteria that include the performance and results you demonstrate.

3. OTHER TERMS

- **a.** You will be eligible for the following benefits:
 - i. Leave and holidays
 - **ii.** Participation in Provident Fund Scheme
 - iii. Participation in the Foundation Medical Assistance Program
 - iv. Gratuity
 - v. Insurance Medical, Term Life & Personal Accident
- **b.** You will be re-assigned in such capacity as the Foundation may from time to time determine. If such re-assignment results in transfer to another function, program or location, you will be governed by the terms and conditions of service applicable to the new assignment.
- **c.** In your role in the Foundation, you will be required to:
 - **i.** Effectively, diligently and to the best of your ability perform all responsibilities to achieve the assigned results. This may require working extra hours from time to time.



- **ii.** Undertake travel on Foundation work for which you will be reimbursed travel expenses as per the Travel policy of the Foundation.
- **iii.** Understand the scope and intent of all our policies and comply with them, as they form an integral part of the terms of your employment with the Foundation.
- **iv.** The POSH policy is enclosed in *Annexure 2*. Its' purpose is to provide a safe, secure and enabling environment for all our members. You are expected to adhere to all aspects of this policy and ensure that you treat all members with dignity and respect.
- v. Disclose and assign to Azim Premji Foundation as its exclusive property, all developments, developed or conceived by you solely or jointly with others during the course of your employment
- vi. Not engage in activities that have or will have an adverse impact on the reputation, image or working of Azim Premji Foundation, whether directly or indirectly.
- **d.** Your retirement age is 60 years.
- e. This contract of employment is terminable, without giving reasons, by either party by giving one month notice. Azim Premji Foundation reserves the right to pay or recover salary in lieu of notice period. Further, the Foundation may at its discretion relieve you from such date as it may deem fit even prior to the expiry of the notice period. In case of breach of integrity or unacceptable performance or misconduct, the Foundation reserves the right to terminate this agreement without any notice and without notice pay in lieu.
- **f.** Your employment terms may be specifically enforced legally, if required. If any of the provisions of this Agreement are declared or found to be void or unenforceable due to any reason whatsoever, the remaining provisions of this Agreement shall continue to be in full force and effect.
- **g.** Please note that you are required to inform us if there are any other agreements, oral or written, which you have entered into and which may relate to or affect your commitments under this Agreement.
- **h.** Conflicts of Interest:

i. You are required to engage yourself exclusively in the work assigned by the Foundation and shall not take up any independent or individual assignments (whether the same is part time or full time, in an advisory capacity or otherwise) directly or indirectly without the express written consent of the Head of your Function and the Chief People Officer.

ii. You shall ensure that you shall not, directly or indirectly, engage in any activity or have any interest in, or perform any services for any person who is involved in activities, which are or shall be in conflict with the interests of the Foundation.

- **i.** We at Azim Premji Foundation are committed to 'Integrity' in all aspects of our functioning. We trust that you have not provided us with any false declaration or willfully suppressed any material information.
- **j.** You shall immediately bring to the notice, in writing, of your immediate supervisor or of the Chief People Officer, any matter or situation or incident that may arise that could potentially result, or has resulted, in violation of the Policies of the Foundation or of this letter.
- **k.** Upon separation you will immediately give up to the Foundation all correspondence, specifications, books, documents, literature, drawings, effects, records etc. belonging to the Foundation or relating to its functioning and shall not make or retain any copies of these items. Your full and final settlement will be subject to compliance with the content of this clause.



- I. Your offer of appointment is subject to successful completion of your current Post Graduation/Masters and Self-declaration of medical fitness. Please provide your certificates within 3 months of your joining.
- **m.** By accepting this offer letter, you agree to terms and conditions mentioned in this letter. You also authorize Azim Premji Foundation and / or its designated agency(ies) to conduct document and background verification and understand that if any information furnished by you is found to be false, you could be denied employment / be terminated.

Please log into the candidate portal to confirm your acceptance of these terms of appointment.

Yours sincerely,

& GROS

Rajib Ghosh

Encl: Annexure 1: Salary Structure Annexure 2: POSH Policy



Annexure 1 Salary Structure

Mr Mohammad

Associate Resource Person – Surguja (Ambikapur Diock), Chnattisgarn			
Salary Components	Amount (Rs.)		
Basic	10,800		
House Rent Allowance	4,320		
Conveyance Allowance	2,000		
Leave Travel Allowance	5,000		
Other Allowance	9,862		
Monthly Gross Salary	31,982		
Provident Fund Contributed by the Foundation	1,800		
Medical Assistance (Notional Value)	800		
Gratuity	518		
Mediclaim Insurance	900		
Monthly Cost to Company (CTC)	36,000		
Annual CTC	4,32,000		

Provident Fund: As per Act. Amount indicated above are as per current applicability.

Gratuity: As per Act. Amount indicated above are as per current applicability.

Medical Assistance :

- 1. Eligibility of reimbursement of actual medical (domiciliary and incidental) expenses for self, spouse and dependent children, up to one month's basic salary or **Rs. 15000/-** per annum (whichever is high).
- 2. Domiciliary medical expenses for employee's parents upto Rs. 10000/- per annum

Mediclaim Insurance: Hospitalization expenses of **Rs. 2 Lacs** per annum as per the rules of the insurance provider.

In addition, you are currently eligible for Coverage under Personal Accident Insurance and Group Term Life Insurance for **Rs. 15 Lacs** and **Rs. 25 Lacs** respectively, as modified from time to time. The terms of both the policies would be shared with you upon joining.

Travel expenses : The reimbursement of your travel expenses from your location to the place of joining will be on actuals. It would be maximum of the 3 Tier A/c fare. Please preserve your tickets and bills for making the claims.

Relocation Expenses : You will be eligible for one time relocation expense of Rs. **10000/-** on joining and this amount will be credited to you along with the second month's salary.

Lodging and Boarding for first 14 days : You Lodging will be arranged directly by the Administration team at the Foundation based on applicable limits. In this time you would have to look for a house for self and move out accordingly.

Housing Deposit Assistance : You will also be eligible to avail an interest free loan towards your actual housing deposit amount upto a maximum of **Rs. 30,000/-**. This amount will be recovered in 10 equal monthly installments, beginning from the subsequent month of availing the loan.

In case you resign from the Foundation before completing 1 year for any reason, you will be required to repay the Foundation the amount claimed towards 'Travel Expenses & Relocation Expenses' and 'Housing Deposit'.



Annexure 2

Policy on Prevention of Sexual Harassment (PoSH)

Azim Premji Foundation is committed to provide a safe, healthy, and supportive work environment for all its members. Sexual Harassment refers to any unwelcome act, behavior, or conduct (physical, verbal, or non-verbal) of a sexual nature that creates an offensive and unsafe workplace for any member. While the law is applicable only to women, our policy is applicable to all members of the Foundation.

The Committee for the Prevention of Sexual Harassment (PoSH) has been set up to help promote gender sensitivity and to act whenever a case of sexual harassment is reported - there is a strong, sensitive, and confidential redressal process in accordance with the law.

Some examples of Sexual Harassment

- Comments about people's bodies or clothes
- Sexist cartoons, jokes, and songs
- Obscene phone calls or texts
- Inappropriate messages, emails and gifts
- Repeated sexual invitations despite earlier refusals
- Inappropriate touching or hugging

If you wish to share any concerns, ask any questions, or file a formal complaint, please feel free to get in touch with any member of the PoSH Committee or write a mail to **posh@azimpremjifoundation.org.** Upon joining, the complete policy on the Prevention of Sexual Harassment can be accessed on the People Policy section of the ERP.

BIHAR STATE BAR COUNCIL, P No. H/... 4982 ATES ARE PILLARS OF JUST Certificate of Admission as an Advocate, under the Advocates Act, 1961 Roll No. BR/123 of 2024 This is to certify that Shekhar Jyoti Son / Daughter / Wife of Sri Digvijaya Narayan Sharma has this day been admitted as an advocate on the Roll of the Bihar State Bar Council. Patna The 05.02.24 Requiredle Secretary "Kindly see the notes on the back of this Certificate"



L



Annexure 1: Compensation Breakup

Set forth below is an outline of the management compensation terms and conditions by which the undersigned parties agree to abide. The existence, nature, terms and conditions of this agreement are strictly confidential and shall not be disclosed by candidate in any manner or form, directly or indirectly, to any person or entity without

Name	Tanmay Jha	Date: 14 th May 2024
Company / Business Unit	Vedanta Limited	
Position / Title	Post Graduate Trainee	
Training Period	6 Months	
Probation Period	6 Months (M8)	
Confirmation	Post 12 months	

Compensation Scheme

I. Total Target Remuneration from Date of Joining

#	Particulars	Amount (INR) Per Annum	Notes
1	Basic	1,80,000	Basic is paid on a monthly basis. Retirals are linked to this. Subject to tax.
11	House Rent Allowance ("HRA")	72,000	House Rent Allowance is paid on a monthly basis. HRA is provided to meet the cost of accommodation. HRA is calculated at 40% of the Basic pay. HRA is an allowance and is subject to income tax. The exemption on HRA is covered under Section 10 (13A) of the Income Tax Act and Rule 2A of the Income Tax Rules.
ш	Personal Allowance	29748	Personal Allowance is paid on a monthly basis. This element has no linkage to any component of compensation / retirals. Subject to tax.
IV	Statutory Bonus	36000	Bonus is paid on a monthly basis and calculated at 20% of the Basic pay, subject to Income tax.
v	Uniform Allowance	12,000	Uniform Allowance is paid on a monthly basis. It is granted to meet the expenditure incurred on purchase or maintenance of uniform to wear during the performance of the duties of an office. It is non taxable.
VIII	Leave Travel Allowance ("LTA")	15,000	Leave Travel Allowance is a reimbursement for travel within India. It is governed by IT Act where one can claim tax exemptions twice in a block of four years and should be on Privilege leave for a minimum period of 5 days and this can be clubbed with weekly off or a paid holiday.
×	Provident Fund ("PF")	21,600	As per employee provident fund Act 1952, an employer is required to contribute minimum 12% of the Basic Salary to EPF. And equal amount will be deducted as employee contribution from monthly payroll.
хі	Gratuity	8,652	The employer will contribute 15 days basic for every completed year of service. This will be payable when the employee leaves / superannuates. The eligibility condition is minimum 5 years of service as per the payment of Gratuity Act 1972.
Fixed	Pay	3,75,000	Sum of all above

Registered Office : Aluminium Sadan, Core 6, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi (India) - 110003 CIN : U74899DL1965PLC004518 | Tel : 011 49166200 | Fax : 011 24320177 | Web : www.vedantalimited.com | www.balcoindia.com

